बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 577/अकादमी/संबद्धता/विधि/2018 भोपाल, दिनांक 25/4/18

अधिसूचना

बार कौंसिल आफ इंडया (बी.सी.आई.) जारी निर्देशों (विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 में अनुशंसित) के तारतम्य में जारी विश्वविद्यालय की अधिसूचना कमांक 2922/अकादमी/2017 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2019-20 के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों की संबद्धता/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथियां निम्नानुसार होंगी :-**

1	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता आवेदन	दिनांक 15-10-2018
2	शासन स्तर पर रिव्यू/अपील के उपरांत जारी NOC के साथ संबद्धता आवेदन की अंतिम तिथि (मूल शुल्क का 25% बिलम्ब शुल्क के साथ)	दिनांक 07-12-2018
3	पूर्व संचालित विधि महाविद्यालयों एवं विधि पाठ्यक्रमों हेतु निरंतरता आवेदन	दिनांक 30-09-2018
4	केवल निरंतरता आवेदन पत्र (मूल शुल्क का 25% बिलम्ब शुल्क के साथ)	दिनांक 31-11-2018

समस्त आवेदन आन-लाईन ही स्वीकार किए जावेंगे। समस्त आवेदन शुल्क (निर्धारित प्रपत्र) में आवश्यक अभिलेखों एवं निर्धारित शुल्क सहित 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबद्धता प्रदान करने के उपरांत आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व बी.सी.आई. की मान्यता विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

लीगल एजूकेशन रूल, 2008 के समस्त प्रावधानों सहित विश्वविद्यालय/बी.सी.आई. द्वारा जारी निर्देशों एवं मापदण्डों की पूर्ति करने का संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ०कमांक 578 /अकादमी/संबद्धता/विधि/2018 भोपाल, दिनांक 25/4/18

प्रतिलिपिः-

1. प्राचार्य, बरकतउल्ला से संबद्ध समस्त विधि महाविद्यालय

....

2. विभागाध्यक्ष विधि विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
3. सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वेबसाईट प्रभारी, कि इस आशय के साथ कि इस अधिसूचना को वेब-साईट पर अपलोड करेंगे।
5. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।

उप-कुलसचिव, अकादमी